TriMas Corporation	Effective Date:: July 1, 2011	Last Revision Date : June 1, 2011
	Approved By: Senior Management Compliance Committee	

शीर्षक: सार्वभौमिक मुखबिर नीति

कार्यक्षेत्र: यह नीति ट्राईमैस कार्पोरेशन ("TriMas") और इसकी सहायक कंपनियों (सामूहिक रूप से, "कंपनी") की सभी लोकेशनों पर सभी कर्मचारियों पर लागू होती है।

उद्देश्य: कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए:

(1) किसी भी संदिग्ध वित्तीय अनौचित्य या अनियमितताओं, नीति संहिता और व्यापारिक व्यवहार या अन्य कंपनी की नीतियों के उल्लंघन, और कंपनी की कानूनी या नियामक आवश्यक्ताओं की फौरन और नेक नीयती से रिपोर्ट ("रिपोर्ट"); और

(2) रिपोर्ट के संबंध में कंपनी द्वारा किसी भी जाँच में मदद करना

इस विशवास के द्वारा कि इन कार्यवाहियों के संबंध में कर्मचारियों को किसी भी बदले की भावना, उत्पीड़न या प्रतिशोध से सुरक्षा की जायेगी। .

नीति: ट्राईमैस चाहती है कि कंपनी के अफसर, निदेशक, मैनेजमैंट, कर्मचारी और ऐजन्ट व्यापार और व्यक्तिगत आचारनीति के उच्चतम मानदण्डों का पालन करें। नैतिक व्यवहार में शामिल है नौकरी की जिम्मेवारीयों को पूरा करने के लिए ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करना और कंपनी के ऊपर लागू होते सभी कानूनों और विनियमों का पालन करना। व्यवहार के इन मानदण्डों को बरकरार रखने के लिए, कंपनी अपने कर्मचारियों पर निर्भर करती है कि वे संदिग्ध व्यवहार के लिए सूचित करें जो अनुरूप नहीं है, सहित:

वित्तीय मामले

- कंपनी के किसी भी वित्तीय पत्रक या अन्य वित्तीय रिर्पोट को तैयार करने, मूल्यांकन, समीक्षा या लेखा परीक्षण में धोखा देने या जानबूझ कर गलती करना
- कंपनी के वित्तीय रिर्काड को अभिलिखित करने और बरकरार रखने में धोखा देना या जानबूझ कर गलती करना
- कंपनी के अंतरिम लेखा खाता नियंत्रण या नीतियों में त्रुटि करना या अनुपालन ना करना
- कंपनी के वित्तीय रिकार्डों, वित्तीय पत्रकों, या अन्य वित्तीय रिर्पोटों में निहित किसी मामले के संबंध में सीनीयर अफसर या लेखापाल को या द्वारा गलतबयानी या झूठा ब्यान
- कंपनी की वित्तीय हालत की पूर्ण और न्यायपूर्ण सूचना से विचलन

रिर्पोट करने के अन्य क्षेत्र

- गतिविधियाँ जो आचार संहिता और व्यापारिक व्यवहार के समान नहीं हैं, जैसे धोखा, अविश्वसनीय, हितों का विरोध, चोरी और रिश्तखोरी
- व्यवहार जो लागू कानून या विनियम का उल्लंघन करे
- कंपनी की नीति का उल्लंघन

गैर-प्रतिशोध

कंपनी की नीति के उल्लंघन के बारे में कर्मचारी द्वारा नेक नीयती से सूचित करने के कारण अथवा कंपनी द्वारा या किसी सरकारी ऐजन्सी द्वारा जाँच में कर्मचारी द्वारा सहायता करने के कारण, किसी भी अफसर, निदेशक, कर्मचारी या कंपनी के ऐजन्ट, किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध बदले की कार्यवाही द्वारा कोई भी हानिकारक कार्यवाही नहीं करनी चाहिए, सहित उनके रोज़गार पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली कोई भी कार्यवाही या किसी भी रूप में किसी भी उत्पीड़न तक सीमित नहीं।

> *<u>नेकनीयती से सूचित करना</u>: नेकनीयती से सूचित करने पर यह जरूरी नहीं इस निष्कर्ष तक पहुँचाए कि कोई ऐसी गतिविधि हो सकती है जिसके बारे में कंपनी को जानकारी होनी चाहिए या जाँच करनी चाहिए। वह रिर्पोट जो कर्मचारी जानता है कि गलत है, नेकनीयत रिर्पोट नहीं होती है।

रिर्पोट करने के विकल्प

कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वह मामला अपने मैनेजर के पास उठायें, जब भी मुमकिन हो। मामले को हल करने का यह सबसे सरल और तेज़ तरीका है। अगर कर्मचारी अपने मैनेजर के साथ अपनी चिंता प्रगट करने में आरामदायक महसूस नहीं करता है, मैनेजर मामले का हिस्सा है, या कर्मचारी को विश्वास है कि उसकी चिंता को उचित प्रकार से नहीं लिया गया है, कर्मचारी निम्नलिखित में से किसी भी विकल्प का उपयोग भी कर सकता है:

1. किसी दूसरे मैनेजर को संपर्क करे जिस पर कर्मचारी विश्वास करता है
2. स्थानीय मानव संसाधन से संपर्क करे
3. ऐस.बी.यू. सीनीयर मैनेजमैंट से संपर्क करे
4. ट्राईमैस कार्पोरेट के निम्नलिखित में से किसी एक व्यक्ति को संपर्क करे:
    a. मानव संसाधन का सीनीयर वी.पी.;
    b. कम्पलाइंस मैनेजर/असिस्टैंट जनरल काउन्सल - रोज़गार;
    c. जनरल काउन्सल और सीनीयर कम्पलाइंस अफसर; या
    d. सर्वोच्च वित्तीय अफसर

आचारनीति हाटलाईन

कर्मचिरियों के पास और विकल्प भी है चिंता व्यक्त करने का वे कंपनी की आचारनीति हाटलाईन के द्वारा अपने देश के लिए निर्धारित टोल-फ्री फोन नंबर पर फोन करके या वैबसाईट www.tnwinc.com/trimascorp पर जाकर। फोन हाटलाईन या वैबसाईट पर सभी सूचनाएं किसी तीसरे पक्ष के प्रदाता को दी जाती हैं इसलिए अगर कोई कर्मचारी गुमनाम रहना चाहता है कर्मचारी के बारे में किसी भी हालत में कंपनी को नहीं बताया जायेगा, जहाँ तक कानूनी तौर से स्वीकृत होगा। अगर कर्मचारी चाहे तो वह गुमनाम रह सकता है, इससे कंपनी द्वारा पूर्ण जाँच करने में कई बार मुश्किल हो सकती है।

जाँच और गोपनीयता

इस नीति के अधीन कंपनी को रिर्पोट की गई सभी जाँच या चिंताओं की कंपनी तुरंत और पूर्ण जाँच करेगी। जहाँ तक संभव हो सकेगा, कंपनी उस कर्मचारी की गुमनामी बरकरार रखेगी जो अपनी पहचान प्रदान करने का चयन करेगा। परन्तु, किसी चिंता को उचित तरीके से जबाव देने के लिए, कंपनी को कंपनी के अन्य कर्मचारियों या व्यक्तियों से साक्षात्कार करने की आवश्यक्ता हो सकती है।

परिणाम

कोई भी मैनेजर जो इस नीति के अधीन कर्मचारी के विरूद्ध बदले की कार्यवाही करता है या जो कानूनी या अनैतिक व्यवहार को क्षमा कर देता है उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही तक की जा सकती है और सहित निष्कासन के।

कोई भी मैनेजर या कर्मचारी जो कंपनी के किसी अन्य कर्मचारी या मैनेजर के गैरकानूनी या अनैतिक व्यवहार के बारे में जानता है, या संदिग्ध होता है तथा रिपोर्ट करने में असफल होता है उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही तक की जा सकती है और सहित निष्कासन के।

कोई भी कर्मचारी जो कोई भी शिकायत या चिंता प्रकट करता है जो कि नेकनीयती से नहीं है, या कर्मचारी जानता है या संदिग्धतता झुठी है, उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही तक की जा सकती है और सहित निष्कासन के।